

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

आदेश

प्रार्थी के खाता "दुरुस्ती प्रार्थना" पत्र में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की अनुसरण में पटवार हल्का रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ प्रविष्टि को चक 6NTW की जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	चक व खाता संख्या एवं जमाबन्दी सम्बन्ध	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	रतनपुरा	6NTW 51/69 2073-2076	सावित्री देवी उर्फ गीता देवी पत्नी रुलीचंद	गीता देवी पत्नी रुलीचंद

नोट :- शेष प्रविष्टि/यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन है तो यथावत रहेगा।



क्रमांक :- सम / 934

(Handwritten Signature)

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया
दिनांक :-

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 7-7-2023

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी गीता देवी पत्नी रुलीचंद निवासी 6NTW
3. आदेश पत्रावली।

(Handwritten Signature)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया